संख्या- 17/2026/71-12-3-2025-1594404

प्रेषक

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तरप्रदेशशासन।

सेवामें,

कृषि निदेशक,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषिअनुभाग-3 लखनऊ::19-02-2026

विषय:- कृषोन्नति योजनान्तर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE योजनान्तर्गत आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-प्रसार/ 2700/SMAE/अनु0जाति/2025-26, दिनांक 29.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषोन्नति योजनान्तर्गत संचालित सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनायें- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें- 0111 नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजना हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश एवं राज्यांश को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 905.625 लाख (नौ करोड़ पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षक/अनु0 सं0	मानक मद	प्राविधान	पूर्व में जारी वित्तीय स्वीकृति	स्वीकृत धनराशि
अनुदान संख्या-83 के सुसंगत लेखा शीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनायें-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0111-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के अन्तर्गत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजना	27-सब्सिडी	497.260	210.750	33.895
	42-अन्य व्यय	440.150	440.150	0.000
	44-प्रशिक्षण	610.280	610.280	0.000
	58-आउटसोर्स	2629.300	1757.570	871.730
योग		**4176.990**	**3018.750**	**905.625**

(नौ करोड़ पॉच लाख बासठ हजार पॉच सौ मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वाराअनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना कीगाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चितकरते हुए किया जायेगा।

3- धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4- योजनान्तर्गत केन्द्रांश अवमुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के पत्र दिनांक 12.01.2026 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किये जाने का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

5- प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता/बजट प्राविधान की सीमा/निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत व्यय को सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा तथा कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

6- वित्तीय स्वीकृति आवंटित् करने/व्यय करने के पूर्व समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यता सुनिश्चित कर ली जायें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

7- जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण योजना की गाइडलाइन एवं तदविषयक भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

9. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03. 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की गाइड लाइन्स/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/ की सहमति के अनुरूप सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। पूर्व में निर्गत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान की पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि शासन के दिशा-निर्देशों/शासनादेशों का अनुपालन कर लिया गया है।

12- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय यू0ओ0 सं0- E-1-243-X-2025-26-दिनांक:16-2-2026 द्वारा प्रदान की गयी उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

ओम प्रकाश वर्मा,
विशेष सचिव,

<u>सं0- 17/2026/71 (1)/12-3-2025-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपिनिम्नलिखितकोसूचनार्थएवंआवश्यककार्यवाहीहेतुप्रेषित:-

1-महालेखाकार,(लेखावहकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0इलाहाबाद।

2-महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3-सचिव,भारतसरकारकृषिमंत्रालय,कृषिएवंसहकारिताविभाग,कृषिभवन,नईदिल्ली।

4-संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5-अवरसचिव,भारतसरकारकृषिमंत्रालय,कृषिएवंसहकारिताविभाग,कृषिभवन,नईदिल्ली।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6-समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7-अपरकृषिनिदेशक(प्रसार),उत्तरप्रदेश,लखनऊ।

8-कोषाधिकारी,जवाहरभवन,लखनऊ।

9-सम्बन्धितपरियोजनाधिकारी,कृषिभवन,लखनऊ।

10-वित्तनियंत्रक,कृषिभवन,लखनऊ।

11-सहायकनिदेशक(कम्प्यूटरएवंसमन्वय)कृषिभवन,लखनऊ।

12-वित्तसंसाधन(केन्द्रीयसहायता)अनुभाग,वित्त(व्ययनियंत्रण),अनुभाग-1/कृषिअनुभाग-5/नियोजनअनुभाग-3

13- शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic पर अपलोड करने हेतु।

14- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

#ApprovedByNameMarkingSection#

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।